राष्ट्रीय लोक अदालत

—: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :—

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद 13/2011

वादी	बनाम	प्रतिवादी
मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद हनीफ मुसलमान (राठौड़) निवासी कुमारी तहसील व जिला नागौर।		1. मोहम्मद अली पुत्र इब्राहिम 2. अल्लाबक्ष पुत्र हाजी यूसूफ 3. मोहम्मद सैयद पुत्र हाजी यूसूफ 4. मोहम्मद अली पुत्र गुलाम हुसैन सभी मुसलमान निवासीगण कुमारी तहसील व जिला नागौर। 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

राजस्व वाद 13/2011 सन् 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजरी.....मिनजानिब मुद्दई व ....मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है खेत खसरा नम्बर 663/642 रकबा 25.00 बीघा मौजा कुमारी तहसील नागौर में वादी मोहम्मद इकबाल का 1/25 वां हिस्सा यानि 1.00 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 1 मोहम्मद अली का 1/5 हिस्सा यानि 5.00 बीघा एवं प्रतिवादी अल्लाहबक्ष का 2/5 हिस्सा यानि 10.00 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 3 मोहम्मद सैयद का 1/5 हिस्सा यानि 5.00 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 4 मोहम्मद अली का 4/25 हिस्सा यानि 4.00 बीघा संलग्न मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शा के अनुसार तन्हा बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में घोषित की जाती है।

दस्तखत सहायक कलक्टर
ओंहदा (एस.डी.ओ.) नागौर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दयला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजसय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

राष्ट्रीय लोक अदालत

–: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :–

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद 13/2011

वादी	बनाम	प्रतिवादी
मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद हनीफ मुसलमान (राठौड़) निवासी कुमारी तहसील व जिला नागौर।		1. मोहम्मद अली पुत्र इब्राहिम 2. अल्लाबक्ष पुत्र हाजी यूसूफ 3. मोहम्मद सैयद पुत्र हाजी यूसूफ 4. मोहम्मद अली पुत्र गुलाम हुसैन सभी मुसलमान निवासीगण कुमारी तहसील व जिला नागौर। 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री गंगासिंह कालवी वादी
श्री हरीराम खारडिया (प्रतिवादी संख्या 1 से 3)

वाद अधीन धारा 88, 53 राज. टिनेन्सी एक्ट
वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन खेत

निर्णय

दिनांक :– 12.03.2016

वादी की ओर से निम्न वाद प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के सहकब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 263/642 रकबा 25.00 बीघा वाके मौजा कुमारी तहसील नागौर में स्थित रहता चला आया है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1,3,4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के दो हिस्से यानि इसमे प्रत्येक प्रतिवादीगण का पाचवा हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के दो हिस्से है यानि उसका 2/5 भाग है।

2 यह है कि, उपरोक्त भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 4 मोहम्मद अली पुत्र गुलाम हुसैन ने अपने पांचवे हिस्से मे से पांचवा हिस्सा यानि पुरी भूमि मे से 1/25 हिस्सा का बेचान कीमत के रूपये 7000/– अक्षरे सात हजार रूपये प्राप्त करके दिनांक 24.01.2006 को कर दिया व एक बेचाननामा का पंजीयन भी उप पंजीयक नागौर के कार्यालय में करवा दिया व कब्जा भूमि का वादी को सौप दिया।

3 यह है कि, पटवारी हल्का इस बेचाननामा के आधार पर आज तक बावजूद बार–बार वादी के कहने के भी नामान्तरकरण 1/25 हिस्से भूमि का वादी के पक्ष में नही किया है व कभी कोई बहाना करता है। भूमि क्योकि पक्षकारान की अविभाजित है इसलिए यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन खेताय के लिए पेश किया जा रहा है तथा राज्य सरकार भूमिधारी ऐसे दावा में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार नागौर को भी पक्षकार बनाया है।

मामले में बाद सुनवाई दिनांक 04.12.2014 को वाद में प्राथमिक डिक्री साबित की गई थी। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार नागौर से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। उक्त रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 16.03.2015 को प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

राजस्व वाद 13/2011
मोहम्मद इकबाल बनाम मोहम्मद अली

पेज संख्या 2

मामला **राष्ट्रीय लोक अदालत** में प्रस्तुत हुआ। बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

खेत खसरा नम्बर 663/642 रकबा 25.00 बीघा मौजा कुमारी तहसील नागौर में वादी मोहम्मद इकबाल का 1/25 वां हिस्सा यानि 1.00 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 1 मोहम्मद अली का 1/5 हिस्सा यानि 5.00 बीघा एवं प्रतिवादी अल्लाहबक्ष का 2/5 हिस्सा यानि 10.00 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 3 मोहम्मद सैयद का 1/5 हिस्सा यानि 5.00 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 4 मोहम्मद अली का 4/25 हिस्सा यानि 4.00 बीघा संलग्न मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शा के अनुसार तन्हा बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में घोषित की जाती है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

नियमानुसार आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

निर्णय आज दिनांक **12.03.2016** को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर